

दिनांक—20.09.2019 को मुख्य सचिव, बिहार—सह—अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 24 वीं बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति— अलग से संधारित है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बैठक में रखे गए प्रस्तावों पर शासी परिषद के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए—

कार्यावली बिन्दु :-01

दिनांक—08.07.2019 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही (यथा—परिशिष्ट—1) की सम्पुष्टि की गयी।

कार्यावली बिन्दु :-02

दिनांक—08.07.2019 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन (यथा—परिशिष्ट—2) को अनुमोदित किया गया।

कार्यावली बिन्दु :-03

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित आई०टी० प्रबंधकों, आई०टी० सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय निर्धारण में वर्णित मद—‘अन्य भत्ता’ के संबंध में स्पष्टीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन।

शासी परिषद की दिनांक 10.10.2018 एवं 15.02.2019 की बैठक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत सृजित संविदात्मक पदों पर नियोजित एवं कार्यरत आई०टी० प्रबंधकों, आई०टी० सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों का मानदेय वृद्धि/पुनर्निर्धारण किया गया है। उक्त निर्णय में अन्य भत्ता के संबंध में यह उल्लेखित है कि “अन्य भत्ता मूल मानदेय का 66 प्रतिशत है।” इस बिन्दु पर कतिपय यह भ्रांति है कि शासी परिषद द्वारा स्वीकृत 10 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि से अन्य भत्ता में वृद्धि होगी अथवा नहीं? चूंकि यह प्रथम बार प्रत्येक वर्ग के मानदेय के विरुद्ध अन्य भत्ता के निर्धारण हेतु है अतएव यह स्थिर (Constant) है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष मानदेय पर ही 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देय होगी, अन्य भत्ता पर यह देय नहीं होगी। इस आलोक में उपर्युक्त वर्णित निर्णय का निम्नवत स्पष्टीकरण दिया जाना प्रस्तावित है:—

“ मानदेय निर्धारण में अन्य भत्ता मूल मानदेय का 66 प्रतिशत है। यह प्रथम बार प्रत्येक वर्ग के मानदेय के विरुद्ध अन्य भत्ता के निर्धारण हेतु है, अतएव यह स्थिर (Constant) है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष मानदेय में ही 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देय होगी, अन्य भत्ता पर यह देय नहीं होगी। ”

उपर्युक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः—	स्वीकृत
----------	---------

कार्यावली बिन्दु :—04

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित आई0टी० प्रबंधक वर्ग—1 का मानदेय वर्ग—2 में उत्क्रमण के प्रस्ताव का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर विभिन्न विभागों/कार्यालयों में नियोजित एवं कार्यरत आई0टी० प्रबंधक, आई0टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय का पुनर्निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालक सहायक के तीन वर्ग यथा कार्यपालक सहायक वर्ग—1, कार्यपालक सहायक वर्ग—2 एवं कार्यपालक सहायक— दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग का अलग—अलग मानदेय का निर्धारण, आई0टी० सहायक के दो वर्ग यथा आई0टी० सहायक एवं आई0टी० सहायक—दक्षता उत्तीर्ण वर्ग का अलग—अलग मानदेय का निर्धारण तथा आई0टी० प्रबंधक के दो वर्ग यथा, आई0टी० प्रबंधक वर्ग—1 तथा आई0टी० प्रबंधक वर्ग—2 का अलग—अलग मानदेय का निर्धारण किया गया है।

जिन आई0टी० प्रबंधकों द्वारा 01.07.2018 को 5 वर्ष से कम का कार्यकाल पूरा किया गया है उनका मानदेय दिनांक—01.07.2018 को आई0टी० प्रबंधक वर्ग—1 के अनुरूप निर्धारित किया गया है तथा जिन आई0टी० प्रबंधकों द्वारा 01.07.2018 को 5 वर्ष का कार्यकाल सफल तरीके से पूर्ण कर लिया गया है उनका मानदेय दिनांक—01.07.2018 को आई0टी० प्रबंधक —2 के मानदेय के अनुरूप निर्धारित किया गया है। शासी परिषद के निर्णय के अनुसार आई0टी० प्रबंधक वर्ग—2 का वर्गीकरण मात्र शुरूआत में मानदेय स्तर में अलग—अलग स्तर के निर्धारण हेतु है, अर्थात वैसे आई0टी० प्रबंधक जिनके मानदेय का निर्धारण 01.07.2018 के प्रभाव से आई0टी० प्रबंधक वर्ग—1 में होगा वह आई0टी० प्रबंधक वर्ग—1 हेतु निर्धारित मानदेय स्तर पर ही वार्षिक वृद्धि प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे तथा वैसे आई0टी० प्रबंधक जिनके मानदेय का

निर्धारण 01.07.2018 के प्रभाव से आई0टी0 प्रबंधक वर्ग—2 में होगा, वह आई0टी0 प्रबंधक वर्ग—2 हेतु निर्धारित मानदेय स्तर पर ही वार्षिक वृद्धि प्राप्त करते हुये आगे बढ़ेंगे।

इस व्यवस्था से आई0टी0 प्रबंधक वर्ग—1 में जिनके मानदेय का निर्धारण हुआ है उसमें कतिपय ऐसे कर्मी हैं जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल कुछ दिनों/महिनों अथवा 1 से 2 वर्ष में ही पूरा हो जायेगा परंतु आई0टी0 प्रबंधक वर्ग—2 के मूल मानदेय का स्तर (32,077.00 रुपये) प्राप्त करने के लिये उनको 3 वर्ष अथवा अधिक अवधि का इंतजार करना होगा जिससे उन्हें वित्तीय क्षति होगी।

इस आलोक में वैसे आई0टी0 प्रबंधक जिनके मानदेय का निर्धारण दिनांक—01.07.2018 के आधार पर आई0टी0 प्रबंधक वर्ग—1 में किया गया है, उनके द्वारा नियोजन के उपरांत 5 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने पर उनको आई0टी0 प्रबंधक वर्ग—2 में उत्क्रमण तथा उक्त तिथि को उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा मानदेय अथवा उत्क्रमित मानदेय में चयन का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः—	वर्ग—2 में उत्क्रमण का लाभ प्राप्त कर गए आई.टी. प्रबंधकों में दिनांक—01.07.2018 को सेवा अवधि की गणना के आधार पर न्यूनतम कितने कार्यकाल वाले आई.टी. प्रबंधक को वर्ग—2 में उत्क्रमण का लाभ प्राप्त हुआ है, के आलोक में समीक्षोपरांत अगली बैठक में प्रस्ताव विचारार्थ रखा जाए।
----------	---

कार्यावली बिन्दु :—05

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित आई0टी0 सहायक जिनके द्वारा 01.07.2018 को सफल तरीके से 5 वर्ष या अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया गया है, हेतु आई0टी0 सहायक वर्ग—2 के रूप में अलग वर्ग तथा विशेष भूत्ता के निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन।

दिनांक—10.10.2018 एवं दिनांक—15.02.2019 को आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर प्रखण्ड, अनुमण्डल, जिला कार्यालयों एवं मुख्यालय में नियोजित एवं कार्यरत आई0टी0 सहायक के मानदेय का पुनर्निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत आई0टी0 सहायक के दो वर्ग यथा, आई0टी0 सहायक एवं आई0टी0 सहायक—दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग का अलग—अलग मानदेय का निर्धारण किया गया है।



कार्यपालक सहायक वर्ग—2 के कार्यपालक सहायकों को 2800.00 (दो हजार आठ सौ रुपया मात्र) का प्रतिमाह विशेष भत्ता का प्रावधान किया गया है। आई०टी० सहायक का भी कार्य क्षेत्र कार्यपालक सहायक के समान प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला जैसे कार्यालयों में है। आई०टी० सहायकों की सदृश कार्य प्रकृति के दृष्टिगत कार्यपालक सहायक वर्ग—2 की भाँति दिनांक—01.07.2018 को सफल तरीके से 05 वर्ष अथवा 05 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लेने वाले उन आई०टी० सहायक का अलग वर्ग आई०टी० सहायक वर्ग—2 का स्तर निम्नवत् निर्धारित करते हुए विशेष भत्ता (3000/- रुपये प्रति माह) का प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव है :—

आई०टी० सहायक वर्ग—2		
क्रम सं०	विवरण	दर (रु. में)
1	मूल मानदेय	13000.00
2	अन्य भत्ता	8580.00
3	विशेष भत्ता	3000.00
4	ई०पी०एफ अंशदान नियोक्ता— (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रुपये तक का 13 प्रतिशत) EPS(8.33%) = 1083 EPF(12%-8.33% = 3.67%) = 477 EDLI(.5%) = 65 EPF-Administration(.5%) = 65 EDLI-Administration(0%) = 0 Total = 1690	1690.00
5	Cost to BPSM (1+2+3+4)	26270.00
6	ई०पी०एफ अंशदान कर्मी— (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रुपये तक का 12 प्रतिशत)	1560.00
7	टेक होम मानदेय (1+2+3)–6	23020.00

यह गणना प्रत्येक वर्ष के 01ली जनवरी एवं 01ली जुलाई को की जाएगी तथा उक्त तिथि को सफल तरीके से 5 वर्ष या अधिक पूरा करने वाले को इस वर्ग में शामिल किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः—	बेल्ट्रॉन के माध्यम से समकक्ष योग्यता के नियोजित किए जाने वाले कर्मियों के मानदेय संरचना से इसकी समीक्षा कर अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाए।
----------	--

कार्यावली बिन्दु—06

कार्यपालक सहायक के सृजित पदों के विरुद्ध पूर्व से नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों को यथावत रखते हुए नई रिक्तियों के विरुद्ध ऐसे कर्मियों का नियोजन बेल्ट्रॉन के

माध्यम से कराए जाने के शासी परिषद की दिनांक—08.07.2019 के निर्णय में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन।

शासी परिषद की 23वीं बैठक में कार्यावली बिन्दु संख्या—4 पर लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत संविदात्मक पदों यथा आई0टी0 प्रबंधक, आई0टी0 सहायक एवं कार्यपालक सहायक के नियोजन के संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आदेश ज्ञापांक—1382, दिनांक—31.07.2019 के द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्गत किया गया है :—

1. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त अब नये रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जायेगा। जिस जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित पदों के विरुद्ध रिक्तियाँ होंगी, वह जिला रिक्तियों के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुये बेल्ट्रॉन से डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा प्राप्त करने हेतु अधियाचना करेगा। बेल्ट्रॉन द्वारा मांग के अनुरूप डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। बेल्ट्रॉन द्वारा जिलों को उपलब्ध कराये गये डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बेल्ट्रॉन को किया जायेगा।
2. आई0टी0 सहायक के पद पर आगे कोई नियोजन की कार्रवाई नहीं की जायेगी।
3. आई0टी0 प्रबंधक के सृजित पदों के विरुद्ध रिक्तियों पर नियोजन की कार्रवाई पूर्ववत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा की जायेगी।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उक्त के आलोक में कतिपय जिलों द्वारा कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु निर्मित जिला स्तरीय पैनलों को तथा पैनल निर्माण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के क्रम में पंचायती राज विभाग से पत्र प्राप्त हुआ है कि पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के जिला स्तरीय पैनल से ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायकों की सेवा उपलब्ध करायी जा रही है तथा वर्णित पत्र के जारी होने के कारण जिला स्तरीय पैनल से कार्यपालक सहायकों की सेवा मिलना बन्द होने से कई जिलों में कार्य प्रभावित है। जिला स्तर पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के जिला स्तरीय पैनल से सुगमतापूर्वक कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ प्राप्त हो जाती थीं,

इससे पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उक्त क्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा विभार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के जिला स्तरीय पैनल से ही कार्यपालक सहायकों की सेवा उपलब्ध कराने की पूर्ववत् व्यवस्था को जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

कतिपय जिलों द्वारा भी यह अनुरोध किया गया है कि जिला स्तरीय विभिन्न कार्यालयों/विभागों के मांग के आलोक में सरकार द्वारा संचालित/क्रियान्वित योजनाओं के सुचारू रूप से निष्पादन हेतु जिला स्तरीय पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाय।

उपरोक्त वर्णित आदेश के निर्गत किये जाने के समय जिलों में पैनल निर्माण की स्थिति अलग—अलग थी। कतिपय जिलों में पैनल का निर्माण कार्य तथा प्रकाशन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए पैनल से कार्यपालक सहायकों के पदों पर नियोजन की कार्रवाई शुरू कर दी गयी थी तो कुछ जिलों में पैनल का प्रकाशन कर पैनल का अंतिम रूप से निर्माण कर दिया गया था परंतु नियोजन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई थी। कुछ जिलों में पैनल निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन था। अर्थात्, कतिपय जिलों में यह स्थिति है कि पैनल निर्माण के बाद उक्त पैनल से कुछ लोगों का नियोजन हो गया परंतु उपरोक्त आदेश के आलोक में शेष अभ्यर्थियों का नियोजन रिक्तियाँ होने के बावजूद अब नहीं किया जा सकता है। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पैनल तो बन गये परंतु एक भी नियोजन उक्त आदेश के आलोक में अब नहीं किया जा सकता है। शेष जिलों में चूंकि पैनल का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है, अतः नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

शासी परिषद के उपरोक्त निर्णय के कार्यान्वयन में तत्काल आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत शासी परिषद के निर्णय में निम्नवत् आंशिक संशोधन का प्रस्ताव है:—

- जिन जिलों में पैनल प्रकाशन का कार्य उपरोक्त वर्णित आदेश के निर्गत होने के पूर्व अंतिम रूप से पूरा कर लिया गया था, उन जिलों में निर्मित पैनल से ही विभिन्न विभागों/कार्यालयों में मांग के अनुसार कार्यपालक सहायक की सेवा दी जायेगी। पैनल की 03 वर्ष की वैधता अवधि के समाप्त अथवा पैनल में उपलब्ध सभी अभ्यर्थियों के नियमानुसार नियोजित होने का अवसर दिये जाने के उपरांत (इनमें से जो पहले हो) पैनल समाप्त हो जायेगा। उसके उपरांत इन जिलों के द्वारा कार्यपालक सहायक का कोई नए पैनल का निर्माण नहीं किया जायेगा। उसके

उपरांत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों को छोड़कर नई रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जायेगा। जिस जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित पदों के विरुद्ध रिक्तियाँ होगी, वह जिला रिक्तियों के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुये बेल्ट्रॉन से डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा प्राप्त करने हेतु अधियाचना करेगा। बेल्ट्रॉन द्वारा मांग के अनुरूप डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। बेल्ट्रॉन द्वारा जिलों को उपलब्ध कराये गये डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बेल्ट्रॉन को किया जायेगा।

- जिन जिलों में उपरोक्त आदेश के निर्गत होने के पूर्व अंतिम रूप से पैनल प्रकाशन का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था, उन जिलों में उपरोक्त वर्णित आदेश के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों को यथावत रखते हुए नई रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः—	आगामी डेढ़ माह में बेल्ट्रॉन के द्वारा विभाग/जिलों की अधियाचना के आलोक में डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवाएँ उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकतानुसार शासी परिषद की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को विचारार्थ रखा जाएगा।
----------	--

कार्यावली बिन्दु :—07 भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए 15.03.2018 से लागू मोबाइल सेट क्रय/प्रतिपूर्ति की व्यवस्था में नयी बिंदुओं के समावेशन का अनुमोदन।

शासी परिषद की दिनांक—10.10.2018 को आयोजित बैठक की कार्यावली बिन्दु—05 के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित पदाधिकारियों) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा (बिहार में पदस्थापित) के पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन के क्रम में सूचनाओं के आदान—प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण आदि हेतु सी0यू0जी0 नेटवर्क अंतर्गत उपलब्ध कराये गये सीम कार्ड/अन्य सीम कार्ड का उपयोग करने हेतु 4G Support



वाले मोबाईल सेट का हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

दिनांक—15.03.2018 से प्रभावी इस नयी व्यवस्था के तहत मोबाईल सेट के क्रय के पश्चात पदाधिकारियों के द्वारा अधियाचित राशि पर की जाने वाली प्रतिपूर्ति में सामने आई कतिपय कठिनाईयों को दूर करने के दृष्टिगत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए 15.03.2018 से लागू मोबाईल सेट क्रय/प्रतिपूर्ति की व्यवस्था में निम्नलिखित बिंदुओं को समावेशित करने का प्रस्ताव है—

1. वित्त विभाग के संकल्प संख्या—03/एफ—01—39/2014—2480/वि० दिनांक—31.03.2017 एवं संकल्प संख्या—03/एफ—01—39/2014— 8060/वि० दिनांक—12.10.2017 के आलोक में मोबाईल का जीवन काल 04 वर्ष निर्धारित है। मोबाईल के जीवन काल की गणना उसके क्रय की तिथि से परिगणित होगी, अतएव पुराने मोबाईल के क्रय के 04 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही नए मोबाईल के क्रय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।
2. पुराने मोबाईल के क्रय के 04 वर्ष पूरा होने के पश्चात यदि उपर्युक्त सेवा का कोई पदाधिकारी नये मोबाईल सेट का क्रय कर उसकी राशि की प्रतिपूर्ति का दावा करना चाहता है तो उक्त पदाधिकारी के द्वारा पुराने मोबाईल सेट को Retain किया जाना अनिवार्य होगा एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से पूर्वोनुमति के पश्चात पूर्व के क्रय किए गए मोबाईल की प्रतिपूरित राशि का 10 प्रतिशत राशि Depreciation Cost के रूप में कोषागार चालान द्वारा राजकोष में जमा कराना होगा।
3. वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवानिवृति की तिथि 04 वर्षों से कम है, वे इस शर्त के साथ क्रय किये गये मोबाईल सेट की राशि की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेंगे कि उन्हें इस आशय का घोषणा—पत्र समर्पित करना होगा कि उनके द्वारा क्रय किये गये मोबाईल सेट को सेवानिवृति के समय अनिवार्य रूप से Retain किया जायेगा एवं सेवानिवृति की तिथि को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ह्यस दर के आधार पर मोबाईल सेट की प्रतिपूरित राशि का अनुमान्य Depreciation Cost की राशि कोषागार चालान द्वारा राजकोष में जमा किया जायेगा। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा सेवांत लाभ के भुगतान के पूर्व उक्त पदाधिकारी द्वारा क्रय किये गये मोबाईल सेट के विरुद्ध Depriciated Cost की राशि जमा कराए जाने के उद्देश्य से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से No Dues Certificate प्राप्त कर लिया जाएगा।

4. पदाधिकारियों द्वारा क्रय किए गए मोबाईल सेट के विपत्र पर उनके स्वयं का नाम अनिवार्य रूप से अंकित रहना चाहिए। स्वघोषणा पत्र के साथ मोबाईल क्रय के विपत्र की स्व—अभिप्रामाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी भी मोबाईल सेट के क्रय की प्रतिपूर्ति की इस योजना से आच्छादित होंगे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए 15.03.2018 से लागू मोबाईल सेट क्रय/प्रतिपूर्ति की व्यवस्था में उपरोक्त बिन्दुओं के समावेशन के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः—	स्वीकृत
----------	---------

अन्यान्य—

RTPS सेवाओं की Service Plus Platform से अधिकार सॉफ्टवेयर पर वापसी का घटनोत्तर अनुमोदन।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत आच्छादित सेवाओं को क्रमवार NIC के Service Plus Platform के माध्यम से क्रियान्वित करने के निर्णय के अनुपालन के क्रम में दिनांक—15.07.2019 से सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं यथा जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन की सेवाओं को ‘अधिकार’ सॉफ्टवेयर से विस्थापित करते हुये NIC के Service Plus Platform के माध्यम से क्रियान्वित किया गया।

विदित हो कि औसतन पूरे राज्य में एक दिन में 60,000 आवेदन प्राप्त होते हैं तथा उक्त क्रम में प्रत्येक प्रखंड स्तर पर 100 से 300 प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं।

Service Plus के माध्यम से RTPS कांउटरों पर आवेदन प्राप्त करने के क्रम में पाया गया कि 60 हजार या अधिक आवेदन आने की स्थिति में सर्वर के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने में काफी विलम्ब होने लगा। साथ ही Service Plus में DSC द्वारा सामान्य आवेदन के संदर्भ में एक बार में एक साथ पॉच प्रमाण पत्र तथा तत्काल सेवा का प्रमाण पत्र एक बार में एक ही Sign हो पाने के कारण प्रमाण पत्र निर्गत करने में भी अत्यंत विलम्ब होने लगा। इस कारण अनेक स्थानों पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। समीक्षा क्रम में पाया गया कि Service plus को पुनः चालू करने के पूर्व Server स्तर तथा Application स्तर पर कठिपय सुधार की आवश्यकता है।

उपरोक्त वर्णित समस्याओं को दृष्टिगत रखकर 31.07.2019 को Service Plus पर आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था को बंद करते हुये वापस 'अधिकार' (RTPS) सॉफ्टवेयर से इन प्रमाण पत्रों के आवेदन प्राप्त करने तथा निर्गमन का कार्य किया जा रहा है।
उक्त पर शासी परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णयः—	स्वीकृत
-----------------	----------------

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/- (सतीश कुमार शामी) अपर सचिव सचिव, योजना एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि	ह0/- (राजेश कुमार) संयुक्त निदेशक महानिदेशक बिपार्ड के प्रतिनिधि	ह0/- (मदन किशोर कौशिक) सचिव, विधि विभाग
ह0/- (डॉ० प्रतिमा) अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी	ह0/- (राहुल सिंह) सचिव (व्यय), वित्त विभाग —सह— सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग	
ह0/- (आमिर सुबहानी) मिशन निदेशक—सह—अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	ह0/- (दीपक कुमार) मुख्य सचिव, बिहार	

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांकः— बिप्र०सु०मि०सो०/विविध-10/2019 सो०— 1775 दिनांक—25-09-2019

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संरक्षण, बिहार/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/सचिव, विधि विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

म/ २५९७
अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांकः— बिप्र०सु०मि०सो०/विविध-10/2019 सो०— 1775 दिनांक—25-09-2019

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार—सह—अध्यक्ष, शासी परिषद एवं विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

म/ २५९८
अपर मिशन निदेशक